SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K.Gupta, J.M.F.C., Gohad, DIST., Bhind (M.P.)

******************	****	न्गाठ देव भीर		ではることなる ないない ないない ないない ないま 大田 ないと しょうかん かい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか
	Name , pa	rentage, caste and address of	accused	
1	D बीर नल 510	माडार गाहर	Breit RIC	o 4/6-3
	महर भारत	mī sliet	· Prince	

		plainant of, and dee of, its all		
	भागने हिनांक प्रिप	क्रिको समय लगमग 16	10वजे, थाना R.L.E.	९ अंतर्गत
स्थान	मी की यहनी	of the star to	र सद्दा पर्चियों पर ३	ांक, संख्या,
संकेत,चिन्ह या	चित्रों के प्रदेशन से । किया जो सार्वजनिक	धृत अधिनियम 188' की घारा	CINCIP CONTRACTOR A TELEVISION OF THE PERSON	The second secon
और इस न्याय	च्या के चंदान में आत	T R 11		
	• वया आपकी	उक्त अपराध स्वीकर है या प्र	101411 418(1 81 !)_W.
	an ⁵	. /	GA.I	Combi
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Judicial was	traffe first cla
*	The plea of	f the accused and his examina	Gohad Dist	esmad (M.P.
अपराध स्वीक	ार है।			
			A K Cilwood	
				٠
			udicial magistrate line Gohad Dist Baind (A	etass.

The offence proved. If any and in case under clasue(d) lastice(f) clause(g) of sub-section 250 the

value of the property in respect to which the offers e has been communed

(आज दिनांकशः १.५.१३.५.१.३.५... को घोषित)

01. आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धृत
अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत स्वेच्छ्या स्वीकारोकित के आधार पर दण्डनीय
अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध उहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्नं पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये <u>आरोपी / गण बोर बल ५० स्वीरी कार्ला भारति उ</u>

को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 क्ल) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं अर्थदण्ड / कियो (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिकम की दशा में अभियुक्त / गण को . 2. े दिवस का साधारण कारावास भुगतायां जावे।

03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि अक्टि अपील अवधि पश्चात राजसात् की जाये तथा जप्तसुदां मूल्यहीन सम्पत्ति हिंदी प्रभिनि कि अपील को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के संबंध में अपील की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायाल के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

anto a calonagistrate first cla